

कार्यालय नगर पालिका परिषद देवरिया।

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

एतद् द्वारा सम्बन्धित फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद देवरिया को 12वें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न वाहन/मशीन/पथ प्रकाश उपकरण/कम्प्यूटर सामग्री क्रय हेतु सील्ड बन्द निविदा/दर दिनांक 10.09.2009 को सायं 3 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सायं 4 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर दिनांक 09.09.2009 को कार्यालय समय में सफाई अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में एन0एस0सी0/के0बी0पी0/एफ0 डी0 आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर नगर पालिका परिषद देवरिया के पद नाम बन्धक कराकर संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना आवश्यक होगा। बिना जमानत धनराशि के निविदा मान्य नहीं होगा। उक्त विज्ञापन को देवरिया के वेबसाइट WWW.Deoria.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

12वें वित्त के संस्तुति के अधीन वर्ष 2008-09 के प्रथम व द्वितीय किस्त के उपभोग हेतु।

क्र0सं0	विवरण	अद्द	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य
---------	-------	------	--------------	--------------

सफाई अनुभाग

1	लोडर स्कार्ट	1	1 लाख	2500=00
2	हाइड्रोलिक ट्रिपल ट्रक	1	1 लाख	2500=00
3	हाइड्रोलिक ट्रेलर ट्राली (महेन्द्रा)	2	1 लाख	2500=00
4	पानी टैकर	1	25000=00	200=0
5	हाथ ठेला, बेल्टा, फरूही, पंजा	प्रति अद्द व प्रति किग्रा0	10000=00	200=00

प्रकाश अनुभाग

8	सोडियम सेट 250 वाट कम्पलीट फिटिंग क्लैम्प, ब्रेकेट पाइप, 6मी0 ढाई एम0एम0 वायर आदि सहित	95	47500=00	500=00
---	--	----	----------	--------

कम्प्यूटर अनुभाग

9	कम्प्यूटर (प्रिन्टर, यू0पी0एस0 सहित)	1	10000=00	100=00
10	प्रिन्टर लेजर जेट	1	2500=00	50=00
11	यू0पी0एस0	1	500=00	50=00
12	फाटो मशीन (कम्पलीट सेट)	1	10000=00	100=00

नोट- उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत समान क्रय किये जायेगे। सामानो की संख्या घट-बढ़ सकती है।

धनराशि कम होने पर पालिका निधि से भुगतान किया जायेगा।

नियम व शर्त :-

- 1- निविदा बिना कारण बनाये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
- 2- नगर पालिका परिषद देवरिया को कम्पलीट वाहन/मशीन/प्रकाश/कम्प्यूटर आदि सामग्री परिषद तक पहुँचाना फर्म की जिम्मेदारी होगी
- 3- गाड़ी सर्विसिंग एवं सर्विसिंग पर होने वाला व्यय फर्म को स्वयं वहन करना होगा तथा गाड़ी का सम्पूर्ण एसेसिरीज गाड़ी के साथ देना होगा व गाड़ी की वारन्टी अवधि में समान खराब होने पर 15 दिन के अन्दर बदलना आवश्यक होगा।
- 4- जमानत धनराशि एक वर्ष तक या वारन्टी अवधि तक बंधक रहेगा।
- 5- गाड़ी के रजिस्ट्रेशन एवं बीमा आदि समस्त औपचारिकताएँ फर्म को अपने व्यय पर करनी होगी।
- 6- प्रकाश उपकरण से सम्बन्धित नियम एवं शर्त की जानकारी प्रकाश विभाग से किसी भी कार्य दिवस से प्राप्त की जा सकती है।
- 7- कम्प्यूटर से सम्बन्धित समस्त आपूर्ति पर एक वर्ष का नियमानुसार वारन्टी देना होगा।
- 8- कम्प्यूटर सेट में बेसिक साफ्टवेयर फर्म को अपने व्यय पर लोड करना होगा।
- 9- निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध लिखना आवश्यक होगा।
- 10- कार्यादेश के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर आपूर्ति करना आवश्यक है।
- 11- अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
देवरिया।